राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 165/2024

डॉ. सुनील सोनी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा, जिला शाहपुरा।
5. डॉ. भागीरथ मीणा, जिला प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक : 02.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बनवारी शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कोटडी, जिला शाहपुरा में कार्यरत है। आदेश दिनांक 24.03.2015 के द्वारा अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ और उसे आमां जिला

भीलवाडा पदस्थापित किया गया तथा आदेश दिनांक 02.10.2019 के द्वारा कोटडी, जिला भीलवाडा पदस्थापित किया गया तथा आदेश दिनांक 08.05.2020 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5589/2020 डॉ. सुनील सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.06.2020 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को यथावत कार्यरत रहने का निर्देश जारी करते हुए विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया, परंतु उक्त अंतरिम आदेश के बावजूद भी अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया गया और आदेश दिनांक 06.11.2023 के द्वारा अपीलार्थी से सामान एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी शक्तियां सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम 3(क) के अंतर्गत अस्थायी तौर पर अग्रिम आदेशों तक डॉ. भागीरथ मीणा को दे दी गईं। अपीलार्थी से उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने से भी रोक दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि आलोच्य आदेश क्रमांक 330, 506 दिनांक 06.11.2023 एवं आदेश दिनांक 07.11.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कार्यरत है। अनुलग्नक ए/4 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आलोच्य आदेश दिनांक 08.05.2020 के विरूद्ध एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5589/2020 दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.06.2020 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को यथावत कार्यरत रहने का निर्देश जारी करते हुए विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है और इस प्रकार उपर्युक्त प्रकरण में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश दिनांक 06.11.2023 से भी यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलार्थी का प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अतः हमारे मत में वर्तमान प्रकरण में

अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य